न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 218 / 2021
संतोष कुमार पपुरनियां, एडवोकेट पुत्र श्री बाबूलाल पपुरनियां, निवासी वार्ड नं0 7, खेतडी, पिन कोड 333503, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।
– –
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 01.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 218 / 2021 पर दिनांक 18.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 3343–3344 दिनांक 18.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1983 दिनांक 27.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संतोष कुमार पपुरनियां, एडवोकेट पुत्र श्री बाबूलाल पपुरनियां, निवासी वार्ड नं0 7, खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0) का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 244 दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग एवं प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 2763 दिनांक 25.10.2021 द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनूं को बिन्दू संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया एवं बिन्दू सं0. 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र कमांक 2204 दिनांक 260.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4) (5) न्याय / सू0अ0 / 21 / 1983 दिनांक 27.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संतोष कुमार पपुरनियां, एडवोकेट पुत्र श्री बाबूलाल पपुरनियां, निवासी वार्ड नं0 7, खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0) का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 244 दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग एवं प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग,

कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 2763 दिनांक 25.10.2021 द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनूं को बिन्दू संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया एवं बिन्दू सं0. 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र कमांक 2204 दिनांक 260.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को बिन्दू सं0 1 की सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि बिन्दू सं0 1 की सूचना प्रार्थी 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/11/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं